राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....2630 / 2016......................................जिला..........जयपुर...

उनवान – मैसर्स नवभारत टयूब्स लि., जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनस आडिट प्रथम, संभाग प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 / 01 / 2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.एन.असावा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 27(4) जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित गांग राशि रू0 28,41,345 / – में से रू0 17,01,404 / – की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया एवं शेष बकाया मांग राशि रू0 11,39,941 / – को स्थगित नहीं करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4) के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। आलौच्य अवधि में अपीलार्थी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के टेरिफ नं. 8424–8–100–निल के नियम 6(3) के अनुसार 6 प्रतिशत कर मुक्त बिक्री पर उत्पाद शुल्क जमा कराया गया है, जिसकी वसूली क्रेताओं से नहीं की जाती है। इसलिये उत्पाद शुल्क की राशि पर वेट का दायित्व नहीं बनता है। साथ ही तर्क दिया कि भाडा व बीमा की राशि क्रेता द्वारा पुर्नभर्णित की गई है अतः धारा 2(35) के तहत कर योग्य मूल्य का भाग नहीं है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि उनके द्वारा निर्मित कर मुक्त माल यथा स्प्रींकलर राइजर, बिन्ड मिल टावर तथा स्ट्रक्चर में प्रयुक्त माल राज्य के बाहर से क्रय किया गया है अतः आगत कर रिवर्स किया जाना अविधिक है। उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा लगातार...........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ......2630 / 2016..जिला..............जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 / 01 / 2017	संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि रूपये 11,39,941 / – की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.11.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। CENVAT CREDIT RULES, 2004 के नियम 6(3)(I) का अवलोकन किया गया। चूंकि अपीलीय अधिकारी ने कुल मांग राशि 28,41,345 / – रूपये में से 17,01,404 / – रूपये का स्थगन दे दिया है तथापि अधिकांश मांग राशि कर मुक्त निर्माण पर क्रीत माल पर रिवर्स टैक्स से संबंधित है। यह तथ्यात्मक स्थिति का प्रकरण है जिसमें कि कर मुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल राज्य के भीतर से क्रीत है अथवा राज्य के बाहर से। उक्त तथ्यात्मक स्थिति अन्तवर्लित है जिस पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय शेष है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये **11,39,941 / –** की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 11.1.2017 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	